मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2002

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2002

क्रमांक 20 सन् 2002

(दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुईः अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के वृक्षों के परिरक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए वृक्षों को काटकर गिराने के विनियमन के लिए बेहतर उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

टिप्पणी

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन - नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने से नगरीय भूमि पर दबाव बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप वृक्षारोपण के लिए स्थान की उत्तरोत्तर कमी हो रही है,

नगरीयकरण की इस गति के कारण नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा तथा अन्य भोगाधिकार के लिये भी विद्यमान वृक्षों पर दबाव बन गया है, नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा वे नगरवासियों के कल्याण के लिए सामग्री भी जुटाते हैं। अतः यह प्रस्तावित है कि प्रक्रिया नियत करके वृक्षों के अनावश्यक गिराये जाने को रोका जाए।

2. विधेयक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(क) नगरीय भूमि पर सभी प्रकार के खड़े वृक्षों को गिराये जाने के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जाएगी।

(ख) वृक्षों के गिराने के लिए अनुज्ञा इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वृक्षोरापण उसी के बराबर या अधिक संख्या में किया जाए।

3. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

---

1. म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. एफ. 25-20-2004-दस.-3 दि. 8 अगस्त 2005 से धारा '6' प्रति स्थापित।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001'' है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्यपर है।

(3)यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त नगरीय क्षेत्र में प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है कोई प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ख) ''वृक्ष'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा काष्ठीय पौधा जिसकी शाखाएं तने या कार्य से निकलती हैं तथा जो तने या काय पर आलंबित हों और जिसके तले या काय का व्यास भूमि तल पर 30 से.मी. से कम न हो तथा जिसकी ऊँचाई भूमि तल से 2 मीटर से कम न हो;

(ग) ''वृक्ष काट कर गिराना'' से इसकी सजातीय अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है, तने को जड़ों से पृथक् करना, ठूंठ करना, उस पर विषैला पदार्थ लागकर, उसे जला कर या किसी अन्य रीति से उसे क्षति पहुंचाना;

(घ) ''वृक्ष अधिकारी'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस रूप में नियुक्त कियाय गयाय हो;

(ङ) ''नगरीय क्षेत्र'' से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका निगम/नगरपालिका/कैंटोमेंट बोर्ड या नगर पंचायत के भीतर के समस्त स्थान;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम के प्रयोग में लाई गई हैं और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित की गई है, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई है, वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं।

3. वृक्षों को काटकर गिराने बाबत् निर्बन्धन - कोई भी व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी रूढि, प्रथा, संविदा या स्थानीय विधि के होते हुए भी, उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके स्वामित्व में की हो, या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवाकर नहीं गिरवाएगा।

4. वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति - राज्य सरकार, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक ऐसे वन अधिकारियों को, जो राजपत्रित वन अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों, या आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ''वृक्ष अधिकारी'' के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति - राज्य सरकार, वन विभाग या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अन्य अधिकाकिरयों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, समय-समय पर नियुक्त कर सकेगी जो वृक्ष अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

6. वृक्ष को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसका व्ययन करने के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया - (1) किसी वृक्ष को काटकर गिराने या हटाने या उसका अन्यथा व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित वृक्ष अधिकारी को, अनुज्ञा के लिए ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए तथा ऐसे दस्तावेज के साथ, जो कि विहित किए जाएं, आवेदन करेगा।

(2) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, वृक्ष अधिकारी आवेदन की अभिस्वीकृति देगा तथा आदेश द्वारा उस वृक्ष का निरीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो ऐसी अनुज्ञा पूर्णतः या भागतः दे सकेगा या लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा:

परन्तु कोई भी अनुज्ञा, उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को, उसी दशा में इन्कार नहीं किया जाएगा जबकि वह, -

(एक) वृक्ष मृत हैं, रोगग्रस्त है या हवा से उखड़ा हुआ है; या

(दो) वृक्ष जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा बन जाता है; या

(तीन) वृक्ष अग्नि से, बिजली से, वर्षा से या अन्य प्राकृतिक कारणों से सारतः नुकसान ग्रस्त

(चार) यातायात के लिए बाधा बन जाता है या यदि ऊर्जा/दूरभाष की लाइनों आदि के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अध्यधीन हो सकेगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर, जैसा कि विहित किया जाए, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जाति का कोई अन्य वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां वह उस तारीख से, जिसको कि वृक्ष काटकर गिराया गया हो, तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसा योगदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(4) यदि वृक्ष अधिकारी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विनिश्चय की संसूचना देने में असफल रहता है तो आवेदित अनुज्ञा के सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि वह दे दी गई है।

7. वृक्षों का परिरक्षण - आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष भली-भांति उगें और उसका भली-भांति परीक्षण किया जा रहा है।

8. धारा 6 के अधीन किए गए आदेश का क्रियान्वयन - (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन वृक्ष लगाने के लिए बाध्यताधीन है, यथास्थिति आदेश या निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्रारम्भिक कार्य (तैयारी) शुरू करेगा और ऐसे आदेश या निदेश के अनुसार आगमी या अनुगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे बढाए गए समय के भीतर, जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, वृक्ष लगाएगा तथा उन वृक्षों को जो किसी भूमि या क्षेत्र में लगाए गए हैं, किसी नुकसान से पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण व्यवस्था करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, वृक्ष अधिकारी वृक्ष लगवा सकेगा और वृक्षारोपण की लागत की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के तौर पर कर सकेगा।

9. अपील - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी होंगे।

(2) जब वृक्ष अधिकारी द्वारा धारा 6 या 7 के अधीन कोई विनिश्चय या कोई आदेश किया जाता है, तो वृक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित, कोई व्यक्ति, वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश या निर्देश के पारित किए जाने से तीस दिन कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा,

(3) अपील प्राधिकारी, अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का विनिश्चय, अपलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् करेगा।

10. सम्पत्ति का अभिग्रहण - जहां वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, तो वह यथास्थिति वृक्ष या उसके भाग को, जो भूमि या तने से पृथक किया गया है, गिराए जाने के लिए उपयोग में लाए गए औजार, तथा उपकरण सहित अभिग्रहण कर सकेगा। जब वन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया जाता है तो वह वृक्ष अधिकारी को मामला आगे कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा।

11. धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति - वृक्ष अधिकारी धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा, यदि भूमि ने, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्रारूप में बंध पत्र, निष्पादित कर दिया हो, जैसा कि प्रस्तुत करने के लिए विहित किया जाए।

12. इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, औजार आदि कब अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे - (1) समस्त इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी जो कि राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है तथा जिसके कि संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, और ऐसे अपराध को करने में उपयोग में लाए गए समस्त पशु, औजार, नाव, यान, रस्से, चेन या कोई अन्य सामग्री धारा 9, 11 तथा 17 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के लिए अपराधी को सिद्धदोष ठहराए जाने पर, अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे। ऐसा अधिहरण ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा।

(2) वृक्ष से उत्पादित कोई इमारती लकड़ी, औजार तथा उपकरण आदि और उपधारा (1) के अधीन अधिहृत कोई नाव, पशु या अन्य प्रवहरण न्यायालय द्वारा ऐसी रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

13. संगठनों द्वारा अपराध - (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति संगठन है, वहां वह संगठन तथा उस अपराध के लिए जाने के समय उस संगठन के कारबार के जाएंगे और तद्नुसार वह अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी संगठन द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस संगठन/यूनिट के प्रमुख,

सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां संगठन/यूनिट का प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार वह अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

14. अपराध के लिए जाने को रोकने की शक्ति - प्रत्येक वृक्ष अधिकारी या उस अधीनस्थ या कोई वन, राजस्व या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने से रोकेगा तथा अपराध के किए जाने से रोकने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा।

15. अपराध शमन करने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को, जो संभागीय वन अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, किसी व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह है, शमन के रूप में ऐसी धनराशि, जो कि विहित की जावे, स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) यथास्थिति, ऐसी राशियों या ऐसे मूल या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय करने पर अभिगृहीत संपत्ति तथा अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, निर्मुक्त किया जाएगा तथा ऐसे अपराधी या संपत्ति के विरूद्ध और कार्यवाही नहीं की जाएगी।

16. अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जाएगी - प्रत्येक वन अधिकारी, लोक सेवक या किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि धारा 3 के किसी उल्लंघन करने की तैयारी की, उसकी जानकारी की सूचना वृक्ष अधिकारी को तुरन्त दे।

17. धन के संदाय के आदेश का निष्पादन - कोई राशि, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाना निदेशित किया गया है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह उससे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

18. शास्ति - जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को गिराएगा या गिरवाएगा वह दोषसिद्धि पर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जुर्माना यदि विहित समय-सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगा।

19. इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना - इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक है।

20. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण - इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यिता किसी बात के लिए या किसी ऐसी बात के लिए जो की जाने से छोड़ दी गई हो,

राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने लिए सशक्त, हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

21. वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति - (1) राज्य सरकार, जन सामान्य के हित में, अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि वृक्षों के किसी वर्ग को ऐसी कालावधि तक काटकर नहीं गिराया जाएगा जैसी कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबंध विहित रीति में विनियमित किया जाएगा।

22. वृक्ष अधिकारी को कतिपय शक्तियां विनिहित करना - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारियों तथा अन्य अधिकारी को समस्त या निम्नलिखित में कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थातः

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण, सीमांकन करने तथा उसका मानचित्र (नक्शा) बनाने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने तथा ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य ग्रहण करने तथा अभिलिखित करने की शक्ति।

23. गिराई गई सामग्री का अभिवहन - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्यांक 16) की धारा 41 तथा 42 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन गिराए गए वृक्षों के अभिवहन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

24. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।